

दिनांक 02.11.2017 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में योजना के नोडल पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारियों की आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- संचिका में संधारित।

बैठक की कार्यवाही।

1. कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि विभाग की लगभग सभी योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं। जितनी योजनाएँ विभाग में चल रही हैं उसका सम्मिलित रूप से जिलों को कुल कितनी राशि गयी है एवं उसमें से कितनी राशि की निकासी हुई है तथा जिलावार एवं योजनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा इस बैठक में की जायेगी।

(अनु0-सभी जिला नोडल पदाधिकारी)

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश जिलों में योजना मद की राशि की निकासी कर बैंक खाता में रखा गया है। जिलों में व्यय हेतु जो राशि अग्रिम दिया गया है उसका समायोजन नहीं हुआ है। अधिकांश जिलों में पारित अभिश्रव रखा हुआ है। उसकी निकासी एवं भुगतान नहीं किया गया है।

सभी जिलों से वर्षवार/योजनावार केन्द्रांश एवं राज्यांश का अलग-अलग दी गई अग्रिम की राशि, अभिश्रव की राशि, बैंक खाता में जमा राशि, बैंक खाता की संख्या एवं खाते की स्थिति सम्बंधी पूर्ण विवरण की मांग करने हेतु प्रभारी बजट पदाधिकारी को निदेश दिया गया। ताकि अव्यवहृत राशि को आगे व्यय करने अथवा जमा करने के संबंध में उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा सके।

(अनु0-प्रभारी बजट पदाधिकारी)

3. विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत जिलावार राशि की निकासी की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-
 - 3.1 पटना जिला में कुल स्वीकृत राशि 27.43 करोड़ रु० के विरुद्ध अभी तक 1.74 करोड़ रु० की निकासी हुई है। कुल 6.91 करोड़ रु० का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। जिला में मिट्टी नमूना संग्रह के लक्ष्य 18263 के विरुद्ध अभी तक 3071 मिट्टी नमूना संकलित किया गया है।
 - 3.2 मुंगेर में अभी तक कुल 15 प्रतिशत राशि की निकासी हुई है। यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत अभी तक एक भी स्वीकृति पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
 - 3.3 सिवान में कुल स्वीकृत राशि 17.44 करोड़ रु० के विरुद्ध अभी तक 36 लाख रु० की निकासी हुई है। 3.58 करोड़ रु० का विपत्र कोषागार से पारित हो गया है।
 - 3.4 औरंगाबाद जिला में सामुदायिक नर्सरी विकास योजना में 12.83 लाख रु० की निकासी हुई है। शेष सभी योजनाओं में निकासी शून्य है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत कुल 556 ऑन लाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन निर्गत परमिट की संख्या शून्य है। मिट्टी नमूना संग्रह का कुल लक्ष्य 31293 के विरुद्ध 9273 मिट्टी नमूना अभी तक संकलित किया गया है।
 - 3.5 भागलपुर के जिला कृषि पदाधिकारी प्रशिक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश गये हुए हैं। इसलिए इस जिला की समीक्षा नहीं हो सकी। भागलपुर के जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ के कोषागार पदाधिकारी ने विभाग द्वारा निर्गत सभी आवंटन संबंधी पत्रों एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना की मांग बन्द लिफाफा में की गई है। प्रभारी बजट पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0-प्रभारी बजट पदाधिकारी)

- 3.6 पश्चिम चम्पारण में कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध अभी तक 8 प्रतिशत राशि की निकासी हुई है।
- 3.7 कटिहार में सामुदायिक नर्सरी विकास योजना की 93 प्रतिशत राशि की निकासी हुई है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम एवं बीज ग्राम योजना की राशि की भी निकासी हुई है। यांत्रिकरण योजना का विपत्र तैयार किया जा रहा है।
- 3.8 लखीसराय में कुल स्वीकृत राशि 5 करोड़ ₹0 में से 10 लाख ₹0 की निकासी हुई है। रा0कृ0वि0यो0 के गत वर्ष के अवशेष राशि का 1.55 करोड़ ₹0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है।
- 3.9 किशनगंज में कुल स्वीकृत राशि 8.64 करोड़ ₹0 के विरुद्ध 46 लाख ₹0 की निकासी हुई है। 61 लाख ₹0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। यांत्रिकीकरण योजना में कुल 720 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 48 कृषकों को परमिट निर्गत किया गया है।
- 3.10 गोपालगंज में सामुदायिक नर्सरी योजना का 3.90 लाख ₹0 तथा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में 2.02 लाख ₹0 की निकासी हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का विपत्र कोषागार में गया है।
- 3.11 रोहतास में कुल स्वीकृत राशि 20.50 करोड़ ₹0 के विरुद्ध 82.30 लाख ₹0 की निकासी हुई है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार एवं किसान सलाहकार योजना में निकासी हुई है। मिट्टी नमूना संग्रह का कुल लक्ष्य 27116 के विरुद्ध अभी तक 4385 मिट्टी नमूना संग्रह किया गया है।
- 3.12 भोजपुर में कुल स्वीकृत राशि 17.91 करोड़ ₹0 के विरुद्ध अभी तक मात्र 79.94 लाख ₹0 की निकासी हुई है एवं 3.61 करोड़ ₹0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। मिट्टी नमूना संग्रह का कुल लक्ष्य 24360 के विरुद्ध अभी तक 6694 मिट्टी नमूना संकलित किया गया है।
- 3.13 जहानाबाद में कुल स्वीकृत राशि 7 करोड़ ₹0 के विरुद्ध 28 लाख ₹0 की निकासी हुई है। कुल 1.05 करोड़ ₹0 का विपत्र कोषागार में गया है। यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत अभी तक कुल 1093 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 143 कृषकों को परमिट निर्गत किया गया है।
- 3.14 बांका में कुल स्वीकृत राशि 7 करोड़ ₹0 में से 2 लाख ₹0 की निकासी हुई है। 2 करोड़ ₹0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। मिट्टी नमूना संग्रह का कुल लक्ष्य 18470 के विरुद्ध अभी तक 7135 मिट्टी नमूना संकलित किया गया है।
- 3.15 वैशाली में कुल स्वीकृत राशि 20.69 करोड़ ₹0 के विरुद्ध 8.75 करोड़ ₹0 (42 प्रतिशत) की निकासी हो गई है। इस जिला में हरित क्रांति योजना, मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार कार्यक्रम एवं सामुदायिक नर्सरी योजना में निकासी हुई है।
- 3.16 खगड़िया में सामुदायिक नर्सरी योजना में 11.55 लाख ₹0 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम में 36.40 लाख ₹0 की निकासी हुई है। हरित क्रांति योजना का 47 लाख ₹0 एवं रा0कृ0वि0यो0 का 5 लाख ₹0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है।
- 3.17 बेगूसराय में कुल स्वीकृत राशि 22.36 करोड़ ₹0 में से अभी तक 1.10 करोड़ ₹0 की निकासी की गई है तथा 1.07 करोड़ ₹0 का विपत्र कोषागार में है। मिट्टी नमूना संकलन का कुल लक्ष्य 17435 के विरुद्ध 4990 नमूना एकत्र किया गया है।
- 3.18 नवादा में कुल स्वीकृत राशि 13.08 करोड़ ₹0 के विरुद्ध 5.76 करोड़ ₹0 (44 प्रतिशत) की निकासी हो गई है। धातु कोठिला एवं जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का विपत्र कोषागार में भेजा जा रहा है।

- 3.19 सहरसा में कुल स्वीकृत राशि 13.11 करोड़ रू0 में से अभी तक 92 लाख रू0 की निकासी हुई है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में कुल 790 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- 3.20 सीतामढ़ी में कुल स्वीकृत राशि 17.81 करोड़ रू0 के विरुद्ध अभी तक 1.28 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। 117.00 लाख रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है।
- 3.21 शिवहर में 1.61 करोड़ रू0 की निकासी हुई है।
- 3.22 गया में कुल स्वीकृत राशि 26 करोड़ के विरुद्ध अभी तक 5.50 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में 216 कृषि यंत्रों का वितरण हुआ है। जिसका अनुदान राशि 39.67 लाख रू0 है।
- 3.23 बक्सर जिला में कुल स्वीकृत राशि 8.58 करोड़ रू0 के विरुद्ध 77.44 लाख व्यय किया गया है। मिट्टी नमूना संग्रह का लक्ष्य 16807 के विरुद्ध 8561 नमूना एकत्र किया गया है।
4. सामुदायिक नर्सरी विकास योजना :- निदेश दिया गया कि इस योजना का अन्तिम भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन सभी जिलों से प्राप्त कर लिया जाय। सभी जिला कृषि पदाधिकारी भौतिक उपलब्धि के विरुद्ध राशि की निकासी कर लें तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक अवशेष राशि को प्रत्यार्पित कर दें।

(अनु0-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, रा0खा0सु0मि0/सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला के सुदृढीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत अभी तक कुल स्वीकृत राशि 800.00 लाख रू0 के विरुद्ध अभी तक 211.69 लाख रू0 की निकासी हुई है। भोजपुर, औरंगाबाद, गया, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, सहरसा एवं कटिहार में अभी तक निकासी शून्य है। इस राशि से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान किया जाना है।
6. जिला मुख्यालय एवं प्रखण्डों में पदस्थापित कृषि समन्वयकों को अपने जिला में प्रत्येक दो साल में स्थानान्तरण करने संबंधी पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(अनु0-निदेशक, प्रशासन, कृषि विभाग)

7. निदेशक, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेन्सी द्वारा बताया गया कि जैविक प्रमाणिकरण के लिए प्रारम्भिक जाँच हेतु एक प्रपत्र सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा को भेजा गया है। इसे सभी जिला से अविलम्ब समीक्षा कर भेजवाने का निदेश दिया गया।
8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के अवशेष राशि से लिये गये कार्यक्रमों का आवंटन सभी जिलों को भेज दिया गया है। निदेश दिया गया कि भौतिक उपलब्धि के अनुसार सबसे पहले गत वर्ष के अवशेष अव्यवहृत राशि के विरुद्ध लिए गये कार्यक्रम के विरुद्ध राशि व्यय किया जाय, उसके बाद हरित क्रांति योजना अन्तर्गत इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि की जाय, उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राशि को व्यय किया जाय।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति योजना अन्तर्गत कृषि यंत्रों एवं छोटे-छोटे घटकों की उपलब्धि कर राशि व्यय करने का निदेश दिया गया।

9. अन्न भंडारण योजना अन्तर्गत धातु कोटिला वितरण की राज्य योजना अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार राशि को अविलम्ब व्यय करने का निदेश दिया गया।
10. एस0एम0ए0एम0 योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कस्टम हायरिंग योजना की राशि निदेशक, बामेती द्वारा सभी जिलों को जुलाई, 2017 में ही उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अभी तक कहीं भी राशि खर्च नहीं हो रही है। इस योजना अन्तर्गत 10 लाख रू0 तक या कुल लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है। सभी जिलों में विशेष ध्यान देकर इस राशि को व्यय करने का निदेश दिया गया।

11. दियारा विकास योजना एवं टाल दियारा योजना को नवम्बर के प्रथम सप्ताह से कार्यान्वित कराने तथा अविलम्ब राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।
12. निदेश दिया गया कि दिनांक 06.11.2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से पुनः यह बैठक आयोजित की जायेगी।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

W. S. S.
3.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 8/कृ0नि0यो0वि0-56/15- 6610 पटना, दिनांक :- 03-11-17

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के विशेष कार्य पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/सांख्यिकी/अभियंत्रण/पौधा संरक्षण/शिक्षा/उपादान/फसल एवं प्रक्षेत्र/(रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस/(रसायन) गुण नियंत्रण/(रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/ पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/उप निदेशक (शष्प) सूचना/बीज/ प्रक्षेत्र/तेलहन/उपादान प्रवर्तन/प्रशिक्षण/टाल दियारा चौर विकास, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. S. S.
3.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 8/कृ0नि0यो0वि0-36/15- 6610 पटना, दिनांक :- 03-11-17

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

W. S. S.
3.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

62